संख्या–377/87–अति0ऊ0स्रो0वि0/2024

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग लखनऊः दिनांक 14 मार्च, 2024

विषयः– उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति–2024 के प्राविधानों एवं प्रोत्साहनों के अनुसार प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना, विकास एवं उनके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के शासनादेश संख्या–340/87–अति0ऊ0स्रो0वि0/2024 दिनांक 14 –03–2024 द्वारा "उ0प्र0 ग्रीन हाइड्रोजन नीति–2024" का प्रख्यापन किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अन्तर्गत 01 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य वर्ष 2029 तक निर्धारित किया गया है। प्रख्यापित नीति में उ0प्र0 की युवा जनशक्ति को नीति काल में स्थापित परियोजनाओं के माध्यम से परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से लगभग 1,20,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित है। उक्त के अन्तर्गत परियोजनाओं की स्थापना, विकास एवं उनके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

1. इस नीति के क्रियान्वयन के लिए उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) नोडल एजेन्सी होगी। ग्रीन हाइड्रोजन नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन एवं परियोजना विकासकर्ताओं की सुगमता एवं सहायता का कार्य नोडल एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। यूपीनेडा द्वारा सिंगल विण्डो पोर्टल विकसित किया जायेगा, जो निवेश मित्र से इन्टरलिंक किया जायेगा। यूपीनेडा द्वारा विकासकर्ता/फर्मों, लाइन विभागों जैसे डिस्काम, ट्रांसमिशन, पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, स्टाम्प, सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग, भूगर्भ जल विभाग, परिवहन विभाग, इन्वेस्ट यूपी इत्यादि के साथ समन्वय करने में सुविधा प्रदान करने के लिये पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा।

2. <u>भूमि की उपलब्धता एवं प्रोत्साहन</u>

राज्य सरकार द्वारा विकासकर्ताओं को जमीन उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया जायेगा एवं सरकारी भूमि उपलब्ध होने की दशा में, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं में उत्पादन, खपत, भंडारण, परिवहन एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों हेतु भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। भूमि सम्बन्धी निम्नवत प्रोत्साहन लाभ उपलब्ध होंगे:–

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के संयुक्त प्रतिष्ठानों को ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना के लिए 30 वर्ष की अवधि हेतु ग्राम समाज/सरकारी भूमि पट्टे (लीज) पर रू0 1/प्रति एकड़/प्रतिवर्ष की दर से लीज पर भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। यह भूमि अहस्तान्तरणीय होगी। यदि आंवटन होने के 03 वर्ष की

समयावधि में भूमि ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु उपयोग में नहीं लायी जाती है अर्थात कार्य प्रारम्भ नहीं होता है तो भूमि अनिवार्य रूप से वापस ले ली जायेगी।

(ii) निजी निवेशकों को ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना के लिए ग्राम समाज/सरकारी भूमि रू0 15000/एकड़/वर्ष की दर से पटटे पर 30 वर्ष की समयावधि हेतु उपलब्ध होगी। यदि आवंटन होने के 03 वर्ष की समयावधि में भूमि ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु उपयोग में नहीं लायी जाती है अर्थात कार्य प्रारम्भ नहीं होता है तो भूमि अनिवार्य रूप से वापस ले ली जायेगी।

(iii) परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि के सम्बन्ध में विकासकर्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, यदि निर्धारित समय में कृषि से गैर कृषि हेतु भूमि उपयोग परिवर्तन एवं क्रय भूमि की सीलिंग के अंतर्गत अनुमति प्राप्त नही होती है, तो ऐसी दशा में डीम्ड अनुमति प्राप्त होगी।

(iv) परियोजनाओं हेतु भूमि की क्रय अथवा लीज पर प्राप्त भूमि के प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट।

(v) परियोजना विकासकर्ताओं को ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना हेतु प्रयुक्त सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने हेतु वर्तमान में भूमि क्षेत्रफल अधिकतम 5 एकड़ प्रति मेगावाट के अनुरूप अधिकतम 20 मेगावाट प्रति किलोटन प्रतिवर्ष संयत्र क्षमता के अनुरूप भूमि की आवश्यकता हेतु सुविधाये अनुमन्य होगी, परन्तु भविष्य मे तकनीकी विकास के साथ भूमि का प्रति मेगावाट क्षेत्रफल आवश्यकता कम होने की दशा में, तद्नुसार भूमि हेतु सुविधायें अनुमन्य होगी।

3. <u>जल की उपलब्धता</u>

उ0प्र0 सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा परियोजनाओं के निकट उपलब्ध जल स्रोतों से ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को उनकी आंकलित जल मात्रा के अनुरूप जल का आंवन्टन किया जायेगा। विकासकर्ता द्वारा परियोजना हेतु वांछित जल राशि का आंकलन कर सम्बन्धित विभाग को पानी के उपभोग का आँकलित विवरण सूचित किया जायेगा। परियोजनाओं हेतु जलस्रोत से परियोजना स्थल तक जल एवं जलापूर्ति अधोसंरचना निर्माण लागत विकासकर्ता द्वारा वहन की जायेगी।

4. <u>प्रोत्साहन</u>

ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना हेतु निम्नलिखित प्रोत्साहन लाभ परियोजनाओं के वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ होने के पश्चात 10 वर्षों या परियोजना का उपयोगी जीवनकाल, जो भी कम हो, के लिए अनुमन्य होंगे :–

(i) राज्यांतरिक (इन्ट्रास्टेट) नवीकरणीय ऊर्जा का तृतीय पक्ष को विक्रय अथवा कैप्टिव उपयोग पर व्हीलिंग/ट्रान्समिशन चार्ज पर 100 प्रतिशत की छूट होगी।

(ii) नवीकरणीय ऊर्जा के क्रय पर राज्यांतरिक (इन्ट्रास्टेट) ट्रांसमिशन तंत्र के लिये क्रॉस–सब्सिडी सरचार्ज एवं व्हीलिंग/ट्रांसमिशन चार्ज पर 100 प्रतिशत छूट।

(iii) राज्यांतरित (इन्टरस्टेट) व्हीलिंग/ट्रान्समिशन शुल्क में केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग/भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप छूट अनुमन्य होगी।

4.1 ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित इकाईयों में उपयोग की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा हेतु 10 वर्षो तक की अवधि के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट की अनुमति प्रदान की जायेगी।

4.2. विकासकर्ताओं द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन हेतु अन्य राज्यों एवं उ0प्र0 में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से ओपन एक्सेस के अन्तर्गत आंशिक ऊर्जा खपत एवं डिस्कॉम द्वारा आंशिक ऊर्जा खपत करने की दशा में डिस्कॉम से उपभोग की गई ऊर्जा हेतु डिमान्ड चार्जेज, उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग केसीआरई रेगुलेशन–2019 एवं समय–समय पर संशोधित, के अनुरूप देय होगें।

4.3. ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना हेतु उत्पादित विद्युत को 100 प्रतिशत कैप्टिव उपयोगार्थ अनुमन्य किया जायेगा एवं विद्युत निकासी हेतु पारेषण संयंत्रों का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जायेगा।

4.4. ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में प्रयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा को खपत करने वाली इकाई को रिन्यूवल पावर आब्लिगेशन (आरपीओ) अनुपालन हेतु गणना में लिया जायेगा तथा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादक द्वारा आरपीओ अनुपालन से अधिक उपयोग की गई ऊर्जा, डिस्कॉम का आरपीओ अनुपालन की गणना हेतु आंकलित किया जायेगा।

4.5 ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं पर स्थानीय डिस्कॉम से विद्युत प्राप्त करने पर औद्योगिक टैरिफ लागू होगा।

4.6 उ0प्र0 सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा परियोजनाओं के निकट उपलब्ध जल स्रोतों के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को उनकी आंकलित जल मात्रा के अनुरूप जल का आंवन्टन किया जायेगा। विकासकर्ता द्वारा परियोजना हेतु वांछित जल राशि का आंकलन कर सम्बन्धित विभाग को पानी के उपभोग का आँकलित विवरण सूचित किया जायेगा। परियोजनाओं हेतु जलस्रोत से परियोजना स्थल तक जल एवं जलापूर्ति अधोसंरचना निर्माण लागत विकासकर्ता द्वारा वहन की जायेगी।

4.7 उ0प्र0 ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 में उल्लिखित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा समय–समय पर ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं पर उपलब्ध कराये जा रहें प्रोत्साहन भी परियोजना विकासकर्ताओं को अनुमन्य होगें।

4.8 समस्त ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने में "व्हाइट कैटेगरी स्टेटस" अनुमन्य होगा।

4.9 ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रदूषण नियंत्रण नियम के तहत स्थापना और संचालन की सहमति/एनओसी प्राप्त करने मे छूट होगी।

4.10 प्रख्यापित नीति के अन्तर्गत वृहद् परियोजनाओं हेतु कट–ऑफ तिथि से प्रारंभ होने वाली 04 वर्ष की अवधि अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, मेगा परियोजनाओं हेतु 05 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि तक जो भी पहले हो, सुपर मेगा परियोजनाओं हेतु 07 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि तक, जो भी पहले हो एवं अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं हेतु 09 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक

उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, से है। इसमें ऐसे प्रकरण भी पूंजी निवेश के अंतर्गत सम्मिलित होंगे, जिनमें निवेश प्रारंभ करने की तिथि (सभी श्रेणियों के लिए) प्रभावी तिथि से गत् 05 वर्षों के अंदर हो तथा वाणिज्यिक उत्पादन, प्रभावी तिथि के बाद प्रारम्भ हो। शर्त यह होगी कि पूंजी निवेश का न्यूनतम 80 प्रतिशत, प्रभावी तिथि के पश्चात् किया गया हो।

4.11 पूंजी निवेश के भूमि घटक में प्रभावी तिथि से गत् 05 वर्ष से पहले किया गया निवेश, पूंजी निवेश की गणना करने हेतु अनुमन्य होगा। भूमि में इस प्रकार के निवेश का मूल्य भूमि क्रय किए जाने के समय बुक–वैल्यू पर माना जाएगा (इसके पश्चात् भूमि का किया गया कोई भी पुनर्मूल्यांकन मान्य नहीं होगा)।

4.12 नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहनों को क्रियान्वित करने हेतु निम्नलिखित 04 निवेश प्रतिबद्धता–आधारित परियोजना श्रेणियों को चिन्हित किया गया है। प्रत्येक परियोजना– श्रेणी की पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम पूंजी निवेश को संबंधित श्रेणियों के लिए निर्धारित Threshold Investment कहा जाएगा।

पूंजी निवेश आधारित परियोजना–श्रेणियां	
श्रेणी	पात्र निवेश अवधि
वृहद	₹50 करोड़ से अधिक किन्तु ₹200 करोड़ से कम
मेगा	₹200 करोड़ या उससे अधिक किन्तु ₹500 करोड़ से कम
सुपर मेगा	₹500 करोड़ या उसे अधिक किन्तु ₹3,000 करोड़ से कम
अल्ट्रा मेगा	₹3,000 करोड़ या उससे अधिक

नोट :– एमएसएमई को प्रोत्साहन प्रदेश की एमएसएमई नीति के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे।

4.13 प्रख्यापित नीति के अन्तर्गत औद्योगिक उपक्रम को ईसीआई (Eligible Capital Investment: ECI) का पूंजी निवेश, प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारंभ किया गया है, तो ऐसे पूंजी निवेश का न्यूनतम् 80 प्रतिशत, नीति की प्रभावी तिथि के बाद किया जाना चाहिए तथा उसी पूंजी निवेश को ही पात्र पूंजी निवेश माना जाएगा।

यद्यपि, निवेश की परियोजना श्रेणी (वृहद/मेगा/सुपर मेगा/अल्ट्रा मेगा) निर्धारण हेतु पात्र निवेश अवधि में किया गया पूंजी निवेश, जैसी कि गणना की गई है, पर विचार किया जाएगा।

यद्यपि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि के पश्चात किन्तु 4/5/7/9 वर्षों (श्रेणी के आधार पर) के अन्दर किए गए पूंजी निवेश के 10 प्रतिशत् से कम निवेश को भी पात्र पूंजी निवेश (ECI) माना जाएगा, किन्तु इस प्रकार के प्रकरणों में परियोजना श्रेणी इस नीति में दी गई परिभाषा के अनुसार ही निर्धारित होगी ।

4.14. चरणबद्ध निवेश करने वाले औद्योगिक उपक्रम इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र होंगे, बशर्ते ऐसे आवेदन, प्रथम चरण के वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व प्राप्त हो जाएं। ऐसे प्रकरणों में, संबंधित प्रोत्साहन Threshold Investment को पूरा करने तथा संबंधित चरण, जिसमें Threshold Investment पूर्ण किया गया हो, के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के बाद ही संवितरित किए जाएंगे। अतिरिक्त (Additional) पात्र पूंजी निवेश पर इकाई प्रासंगिक वृद्धिशील प्रोत्साहन (Incremental Incentives) की पात्र होगी, यद्यपि पात्र निवेश अवधि नीति के अनुसार ही रहेगी।

5. निवेश प्रोत्साहन उपादान

निवेश प्रोत्साहन उपादान का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को उपलब्ध 03 परस्पर पृथक विकल्पों में से एक विकल्प चुनने का अवसर मात्र एक बार दिया जाएगा। निवेशक को परियोजना के प्रारंभ में आवेदन के समय ही उक्त अवसर का उपयोग करना होगा। ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट की स्थिति (Location) के अनुरूप देय होगा।

यद्यपि, आवेदक द्वारा आवेदन के समय चयनित विकल्प को परिवर्तित करने का एक अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होगा। इस अतिरिक्त अवसर का उपयोग लेटर ऑफ–कम्फर्ट प्रदान करने हेतु 'उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (HLEC) अथवा 'प्राधिकृत समिति (EC) के अनुमोदन से पूर्व, जैसी भी स्थिति हो, किया जा सकता है। इस प्रकार निवेशक के पास चयनित विकल्प को परिवर्तित करने का अग्रतर एक ही अवसर उपलब्ध होगा तथा इसके पश्चात चयनित विकल्प में परिवर्तन करने का अग्रेतर अवसर उपलब्ध नहीं होगा। औद्योगिक उपक्रम द्वारा निम्नलिखित 03 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जा सकता है–

5.1. विकल्प 1: पूंजीगत् उपादान

(i) इस विकल्प के अंतर्गत औद्योगिक उपक्रम निम्न तालिका के अनुसार पूंजीगत् उपादान का लाभ उठा सकते हैं। पूंजीगत् उपादान निम्नलिखित सूत्र के अनुसार प्रदान की जाएगी–

वार्षिक पूंजीगत् उपादान = (बेस कैपिटल उपादान × ग्रॉस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मल्टीपल (GCM) ÷ अनुमन्य प्रोत्साहन संवितरण अवधि।

पूंजीगत् उपादान एवं वार्षिक सीमा (ईसीआई = पात्र पूंजी निवेश)				
जनपद क्षेत्र	वृहद	मेगा	सुपर मेगा	अल्ट्रा मेगा
गौतमबद्ध नगर व गाजियाबाद	ईसीआई का कुल 10 प्रतिशत 10 वार्षिक किश्तों में	ईसीआई का कुल 18 प्रतिशत 12 वार्षिक किश्तों में	ईसीआई का कुल 20 प्रतिशत 15 वार्शिक किश्तों में	ईसीआई का कुल 22 प्रतिशत 20 वार्षिक किश्तों में
मध्यांचल व पश्चिम (गौतमबद्ध नगर व गाजियाबाद को छोड़कर)	ईसीआई का कुल 12 प्रतिशत 10 वार्षिक किश्तों में	ईसीआई का कुल 20 प्रतिशत 12 वार्षिक किश्तों में	ईसीआई का कुल 22 प्रतिशत 15 वार्षिक किश्तों में	ईसीआई का कुल 25 प्रतिशत 20 वार्षिक किश्तों में
बुंदेलखंड व पूर्वांचल	ईसीआई का कुल 15 प्रतिशत 10 वार्षिक किश्तों में	ईसीआई का कुल 22 प्रतिशत 12 वार्षिक किश्तों में	ईसीआई का कुल 25 प्रतिशत 15 वार्षिक किश्तों में	ईसीआई का कुल 30 प्रतिशत 20 वार्षिक किश्तों में
वार्षिक सीमा	रू. 5 करोड़	रू. 10 करोड़	रू. 50 करोड़	रू.150 करोड़
बूस्टर के साथ वार्षिक सीमा	लागू नही	रू. 15 करोड़	रू. 75 करोड़	रू. 210 करोड़

विशेष वित्तीय उपादान– इस नीति अवधि में प्रथम 05 ग्रीन हाईड्रोजन परियोजनाओं हेतु (मेरठ मण्डल को छोड़कर) सुपर मेगा एवं अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं की श्रेणी में वित्तीय प्रोत्साहन ईसीआई का 35 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत अनुमन्य होगा। इसके अन्तर्गत परियोजनाओं की

वार्षिक सीलिंग सीमा रू. 100 करोड़ एवं रू. 200 करोड़ होगी एवं बूस्टर सहित रू. 125 करोड़ एवं रू. 225 करोड़ होगी, अनुमन्य होगा।

(ii) **ग्रॉस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मल्टीपल** (Gross Capacity Utilization Multiple& GCM): इस नीति में ग्रॉस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मल्टीपल (GCM) को लागू किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस नीति के लाभार्थियों द्वारा स्थापित उत्पादन क्षमता का इष्टतम (Optimum) उपयोग किया जा सके।

(iii) GCM को प्रथम वर्ष के लिए 1 माना जाएगा, बशर्ते इकाई, अपनी स्थापित क्षमता का 40 प्रतिशत उपयोग कर ले। अनुवर्ती वर्षों हेतु GCM को 1 माना जाएगा, बशर्ते उस वर्ष में इकाई अपनी स्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक उपयोग कर ले। यदि क्षमता उपयोग,स्थापित क्षमता के 75 प्रतिशत से कम है, तो नीचे दिए गए फॉर्मूले के अनुसार GCM को आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा–

GCM = Minimum of (75%, विचाराधीन वर्ष का अधिकतम क्षमता उपयोग) ÷ 75 प्रतिशत

(क) GCM की अधिकतम value '1' होगी ।

(ख) यदि क्षमता उपयोग स्थापित क्षमता के 10 प्रतिशत से कम अथवा उसके बराबर है, तो GCM शून्य होगा।

(ग) चरणबद्ध निवेश के प्रकरण में, प्रत्येक चरण के बाद प्रथम वर्ष के GCM को, किए गए अतिरिक्त निवेश हेतु 1 माना जाएगा, यदि क्षमता उपयोग उस चरण में स्थापित अतिरिक्त क्षमता का न्यूनतम् 40 प्रतिशत है। अनुवर्ती वर्षों में, यदि इकाई का कुल क्षमता उपयोग, कुल स्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत है तो GCM 1 होगा तथा यदि इससे कम है, तो GCM आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा।

(घ) विस्तारीकरण श्रेणी की परियोजनाओं के प्रकरण में, विद्यमान इकाई की स्थापित क्षमता वह होगी, जो उस वित्तीय वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष में थी, जिसमें विस्तारीकरण परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ है। GCM की गणना अतिरिक्त निवेश के कारण स्थापित क्षमता के फलस्वरूप प्राप्त वृद्धिशील क्षमता उपयोग (Incremental Capacity Utilization) के आधार पर की जाएगी।

(ड.) विविधीकरण श्रेणी की परियोजनाओं के प्रकरण में, GCM की गणना, अतिरिक्त निवेश के माध्यम से नए उत्पाद/उत्पादों हेतु स्थापित अतिरिक्त क्षमता के उपयोग के आधार पर की जाएगी।

(च) किसी वर्ष विशेष में 1 से कम GCM के कारण पूंजीगत उपादान में हुई घटोत्तरी को आगामी वर्षों हेतु विचारित नहीं किया जाएगा।

नोटः GCM की गणना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश नीति की प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे, जिन्हें पृथक से अधिसूचित किया जाएगा।

iv. **रोजगार बूस्टर** मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी की परियोजनाओं के अनुसार न्यूनतम रोजगार उपलब्ध कराने पर निम्नलिखित रोजगार बूस्टर का लाभ उठा सकती हैं। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए औसत वार्षिक रोजगार (कर्मचारी भविष्य निधि से आच्छादित) को आधार मानते हुए वार्षिक रोजगार बूस्टर के प्रतिशत् की गणना की जाएगी।

(क) प्रश्नगत् परियोजना श्रेणी हेतु विचारित वर्ष में न्यूनतम रोजगार नियोजित करने अथवा प्रश्नगत् परियोजना श्रेणी के लिए न्यूनतम रोजगार के 75 प्रतिशत् महिला कर्मियों को नियोजित करने पर– ईसीआई के 02 प्रतिशत् का रोजगार बूस्टर ।

(ख) प्रश्नगत् परियोजना श्रेणी हेतु विचारित वर्ष में न्यूनतम रोजगार के दोगुने से अधिक नियोजित करने अथवा न्यूनतम रोजगार के दोगुने के 75 प्रतिशत् महिला कर्मियों को नियोजित करने पर–ईसीआई के 03 प्रतिशत् का रोजगार बूस्टर ।

(ग) प्रश्नगत् परियोजना श्रेणी हेतु विचारित वर्ष में न्यूनतम रोजगार के तीन गुना से अधिक नियोजित करने अथवा न्यूनतम रोजगार के तीन गुना के 75 प्रतिशत् महिला कर्मियों को नियोजित करने पर– ईसीआई के 04 प्रतिशत् का रोजगार बूस्टर।

5.2 विकल्प–2 : शुद्ध राज्य माल एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति (Net SGST Reimbursement)

किसी वित्तीय वर्ष विशेष में राजकोष में जमा किए गए शुद्ध एसजीएसटी की राशि से अधिक नहीं होने की शर्त के अधीन जमा शुद्ध एसजीएसटी राशि के 100 प्रतिशत् की प्रतिपूर्ति निम्नानुसार की जाएगी –

शुद्ध एसजीएटी प्रतिपूर्ति					
विवरण		वृहद	मेगा	सुपर मेगा	अल्ट्रा मेगा
शुद्ध एसजीएटी प्रतिपूर्ति की प्रतिपूर्ति का वार्षिक प्रतिशत प्रतिपूर्ति की अवधि (वर्षो में)		100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
		6	12	14	16
गौतमबद्ध नगर व गाजियाबाद	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में वार्षिक सीमा	16 प्रतिशत	7 प्रतिशत	6 प्रतिशत	5 प्रतिशत
	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में समग्र सीमा	80 प्रतिशत	80 प्रतिशत	80 प्रतिशत	80 प्रतिशत
मध्यांचल व पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद को छोड़कर)	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में वार्षिक सीमा	18 प्रतिशत	17 प्रतिशत	14 प्रतिशत	13 प्रतिशत
	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में समग्र सीमा	90 प्रतिशत	200 प्रतिशत	200 प्रतिशत	200 प्रतिशत
बुंदेलखंड व पूर्वांचल	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में प्रतिशत सीमा	20 प्रतिशत	25 प्रतिशत	21 प्रतिशत	19 प्रतिशत
	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में समग्र सीमा	100 प्रतिशत	300 प्रतिशत	300 प्रतिशत	300 प्रतिशत

विस्तारीकरण/विविधीकरण परियोजनाओं के प्रकरण में, केवल वृद्धिशील निवेश ही प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। प्रतिपूर्ति के लिए पात्र शुद्ध एसजीएसटी का मूल्यांकन Incremental Turnover के आधार पर किया जाएगा। Incremental Turnover का अभिप्राय, विस्तारीकरण के उपरांत वर्तमान टर्नओवर तथा बेस टर्नओवर के अंतर से है। बेस टर्नओवर का अभिप्राय इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि जिस वित्तीय वर्ष में हो, उस वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती 05 वर्षों में (अथवा 05 वर्षों से कम, यदि इकाई 05 वर्ष से कम अवधि में कार्यरत रही है) जिस वर्ष में अधिकतम टर्नओवर प्राप्त किया गया हो, एवं यदि चरणबद्ध रूप में परियोजना क्रियान्वित की जा रही हो, तो प्रथम चरण के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि के पूर्ववर्ती 05 वर्षों में जिस वर्ष में अधिकतम टर्नओवर प्राप्त किया गया हो।

5.3 **विकल्प–3 भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रोत्साहनों पर टॉप–अप–**

(i) भारत सरकार की किसी भी पीएलआई योजना के अंतर्गत स्वीकृत पीएलआई प्रोत्साहनों का 30 प्रतिशत् (जब एवं जिस प्रकार भारत सरकार द्वारा संवितरित किया जाता है) संवितरित किया जाएगा।

(ii) प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों की सीमा, ईसीआई (ECI) के 100 प्रतिशत तक सीमित होगी।

(iii) प्रदेश सरकार द्वारा इस विकल्प के अन्तर्गत भारत सरकार की पीएलआई योजना के अतिरिक्त अन्य ऐसी योजनाओं को मा. मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरान्त सम्मिलित किया जा सकता है।

6. ग्रीन हाइड्रोजन का निर्धारण एमएनआरई, भारत सरकार द्वारा किया गया है, वही मान्य होगा।

7. उ0प्र0 हाइड्रोजन नीति–2024 की संचालन अवधि में प्रचार प्रसार एवं प्रशासनिक हेतु रू 5.00 करोड़ व्यय किया जायेगा।

8. **<u>ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया पारिस्थितिकी तंत्र का विकास</u>**

ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जायेगा। इस नीति के अन्तर्गत ग्रीन हाइड्रोजन खपत वाले क्षेत्रों में हाइड्रोजन सम्मिश्रण (ब्लेडिंग) के साथ–साथ राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन हेतु औद्योगिक क्लस्टर/केन्द्र/घाटियों का विकास करने सहित अनिवार्य रूप से खपत केंद्रों के आसपास ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करने एवं भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार क्रियान्वित करने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

प्रख्यापित नीति के अन्तर्गत बायोगैस एवं अन्य उद्योगों से उत्सर्जित कार्बन को उपयोगार्थ बनाने हेतु कार्बन डाईआक्साइड रिकवरी (सीडीआर) यूनिटस को प्रोत्साहित किया जायेगा। इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के साथ–साथ उत्पादन से उपभोग केंद्रों तक राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) का ऑकलन कर ग्रीन हाइड्रोजन और उनके सह–उत्पादों (डेरिवेटिव) के भंडारण एवं परिवहन आदि के प्रौद्योगिकी विकास और क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान किया जायेगा। नीति के अन्तर्गत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन इकाइयों के विकास के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति और बिजली संचरण बुनियादी ढांचे का विस्तार करने एवं मॉग एकत्रीकरण तथा नियामक इत्यादि सहायता प्रदान की जायेगी।

9. **<u>अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) एवं नवाचार</u>**

(i) ग्रीन हाइड्रोजन एवं इसके उत्पादों की उत्पादन लागत घटाने एवं नवीनतम तकनीकी विकास हेतु 02 (दो) उत्कृष्टता केन्द्रों (Centre of Excellence) की स्थापना की जायेगी। उक्त उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना राष्ट्रीय महत्व के शैक्षणिक संस्थानों द्वारा की जानी अपेक्षित होगी।

(ii) उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु शासकीय शैक्षणिक संस्थानों को 100 प्रतिशत एकमुश्त वित्तीय प्रोत्साहन, अधिकतम रू. 50 करोड़ उपलब्ध कराया जायेगा। वित्तीय प्रोत्साहन की सीमा तक किसी अन्य स्रोत से दोहरा वित्त पोषण नहीं होना चाहिये।

(iii) उत्कृष्टता केन्द्रों में अनुसंधान एवं विकास हेतु प्रमुख क्षेत्रों यथा–इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण, टाइप–4 स्टोरेज टैंक, ग्रीन हाइड्रोजन हेतु परीक्षण प्रयोगशाला, ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन, हाइड्रोजन उत्पादन हेतु फ्यूल सेल इलेक्ट्रोलाइजर का विकास, सोलर थर्मल के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन एवं उत्पादन लागत घटाने हेतु अन्य तकनीकियों का विकास आदि सम्मिलित होगा।

(iv) उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन/प्रयोग करने वाले स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इसके अन्तर्गतं भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन अनुमन्य होगा।

(v) प्रत्येक स्टार्टअप्स को अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन रू0 25 लाख प्रति वर्ष 5 वर्षो तक दिया जायेगा। वही स्टार्टअप्स वित्तीय प्रोत्साहन के लिए अनुमन्य होंगे जो किसी शैक्षणिक संस्थानों के अधीन इन्क्यूबेटर्स से आबद्ध होंगें।

(vi) नीति अवधि में अधिकतम तीन इन्क्यूबेटर्स को प्रोत्साहित किया जायेगा। प्रत्येक इन्क्यूबेटर में अधिकतम 10 स्टार्टअप्स अनुमन्य होंगें।

(vii) इन्क्यूबेटर्स को कैपिसिटी बिल्डिंग, हैकेथन, इवेन्टस एवं प्रशासनिक व्ययों इत्यादि कार्यकलापों हेतु स्टार्टअप्स को अनुमन्य प्रोत्साहन का 20 प्रतिशत अंश इन्क्यूबेटर्स को वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में उपलबध कराया जायेगा।

10. <u>वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं संवितरण हेतु कार्यान्वयन व्यवस्था</u>

वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं संवितरण हेतु उ0प्र0 हाइड्रोजन नीति 2024 में उल्लिखित प्राविधान के अनुरूप क्रियान्वित किया जायेगा।

उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–377/87–अति0ऊ0स्रो0वि0/2024 एवं तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा उ0प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भूगर्भ जल विभाग उ0प्र0 शासन।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिचाई विभाग उ0प्र0 शासन।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग उ0प्र0 शासन।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी।
11. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कॉपोरेशन लि0, उ0प्र0।
12. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विद्युत पारेषण निगम लि0, उ0प्र0।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सर्वेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव